

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/

दिनांक- 16/2/18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री भुवनेश्वर दयाल शर्मा (लैंक नम्बर 3528), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का स्थानान्तरण निदेशक, अभियोजन विभाग, जयपुर से निरीक्षण विभाग, भौतिक सत्यापन दल, जयपुर किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री शर्मा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री शर्मा को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी तत्काल कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री शर्मा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 16.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री शर्मा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त श्री शर्मा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/ 1300

दिनांक- 16/2/18

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निदेशक, अभियोजन विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. निरीक्षण विभाग, भौतिक सत्यापन दल, जयपुर।
3. श्री भुवनेश्वर दयाल शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय- निदेशक, अभियोजन विभाग, जयपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(अरविन्द दानवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/

दिनांक-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा (लिंक नम्बर 3521), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का स्थानान्तरण प्रभारी, भौतिक सत्यापन दल, निरीक्षण विभाग, जयपुर से निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, (एफएसएल), जयपुर किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री शर्मा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री शर्मा को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी तत्काल कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री शर्मा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 16.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री शर्मा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त श्री शर्मा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।


(मंजुला वनी)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/ 1301

दिनांक-16/2/18

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रभारी, भौतिक सत्यापन दल, निरीक्षण विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, (एफएसएल), जयपुर।
3. श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय- प्रभारी, भौतिक सत्यापन दल, निरीक्षण विभाग, जयपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(अरविन्द दोहान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/

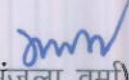
दिनांक-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री शिवपाल (लिनक नम्बर 5202), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का स्थानान्तरण अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस (ATSOG), जयपुर से उप वन संरक्षक, (वन्य जीव), जयपुर किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री शिवपाल द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री शिवपाल को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी तत्काल कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री शिवपाल को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 16.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री शिवपाल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त श्री शिवपाल को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।


(मंजुला वनी)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/ 13-2

दिनांक-16/2/18

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस (ATSOG), जयपुर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. उप वन संरक्षक, (वन्य जीव), जयपुर।
3. श्री शिवपाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय- अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस (ATSOG), जयपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(अरविन्द धान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/

दिनांक-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री ईश्वर दास कन्ना (लिंक नम्बर 8707), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का स्थानान्तरण महानिरीक्षक, सीआईडी (सीबी), जयपुर से मुख्य निरीक्षक, फैक्ट्री एवं बायलर्स विभाग, जयपुर किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री कन्ना द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री कन्ना को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी तत्काल कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री कन्ना को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 16.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री कन्ना नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त श्री कन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/ 1303

दिनांक- 16/2/18

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. महानिरीक्षक, सीआईडी (सीबी), जयपुर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. मुख्य निरीक्षक, फैक्ट्री एवं बायलर्स विभाग, जयपुर।
3. श्री ईश्वर दास कन्ना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय- महानिरीक्षक, सीआईडी (सीबी), जयपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/

दिनांक-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री रामावतार गुप्ता (लिंक नम्बर 1385), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। का स्थानान्तरण निदेशक, रोजगार विभाग, जयपुर से वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल, जयपुर किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री गुप्ता द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री गुप्ता को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी तत्काल कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री गुप्ता को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 16.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री गुप्ता नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त श्री गुप्ता को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/ 1304

दिनांक-16/2/18

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निदेशक, रोजगार विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल, जयपुर।
3. श्री रामावतार गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।, कार्यालय- निदेशक, रोजगार विभाग, जयपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/

दिनांक-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री सत्यनारायण शर्मा (लिंक नम्बर 2791), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का स्थानान्तरण वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल, जयपुर से निदेशक, रोजगार विभाग, जयपुर किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री शर्मा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री शर्मा को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी तत्काल कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री शर्मा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 16.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री शर्मा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त श्री शर्मा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/ 1305

दिनांक-14/2/18

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल, जयपुर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. निदेशक, रोजगार विभाग, जयपुर।
3. श्री सत्यनारायण शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय- वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल, जयपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/

दिनांक-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्रीमती शशि नागपाल (लिंग नम्बर 5989), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का स्थानान्तरण आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, जयपुर से आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, जयपुर किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती नागपाल द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्रीमती नागपाल को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी तत्काल कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्रीमती नागपाल को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 16.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्रीमती नागपाल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त श्रीमती नागपाल को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/1306

दिनांक-16/2/18

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
3. श्रीमती शशि नागपाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय- आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, जयपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/

दिनांक-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री दीपक सैनी (लिंग नम्बर 812), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का स्थानान्तरण निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर से उपायुक्त द्वितीय, वाणिज्य कर विभाग, जयपुर किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सैनी द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री सैनी को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी तत्काल कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री सैनी को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 16.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री सैनी नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त श्री सैनी को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/ 1307

दिनांक- 16/2/18

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. उपायुक्त द्वितीय, वाणिज्य कर विभाग, जयपुर।
3. श्री दीपक सैनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय- निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(अरविन्द धान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/

दिनांक-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 16.11.2017 द्वारा श्री राजेश कुमार दीक्षित (लिंक नम्बर 1484), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का स्थानान्तरण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द से विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेलमगरा (राजसमन्द) किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री दीक्षित द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री दीक्षित को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 16.02.2018 मध्याह्न पूर्व एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री दीक्षित नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त श्री दीक्षित को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/1308

दिनांक-16/2/18

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेलमगरा (राजसमन्द)।
3. श्री राजेश कुमार दीक्षित, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/

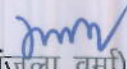
दिनांक-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा (लिंग नम्बर 2433), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का स्थानान्तरण सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से निदेशक, इंटेलिजेन्स ट्रेनिंग अकादमी, जयपुर किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री शर्मा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री शर्मा को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी तत्काल कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री शर्मा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 16.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री शर्मा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त श्री शर्मा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/ 1309

दिनांक-16/2/18

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मियों को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. निदेशक, इंटेलिजेन्स ट्रेनिंग अकादमी, जयपुर।
3. श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय- सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(अरविन्द धान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/

दिनांक-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री कयामुद्दीन कुरैशी (लिंक नम्बर 4158), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का स्थानान्तरण निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर से राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री कुरैशी द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री कुरैशी को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी तत्काल कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री कुरैशी को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 16.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री कुरैशी नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त श्री कुरैशी को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/ 1310

दिनांक-16/2/18

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
3. श्री कयामुद्दीन कुरैशी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय- निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/

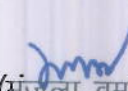
दिनांक-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री कैलाश चन्द शर्मा (लिंग नम्बर 676), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का स्थानान्तरण उपायुक्त द्वितीय, वाणिज्य कर विभाग, जयपुर से निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री शर्मा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री शर्मा को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी तत्काल कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री शर्मा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 16.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री शर्मा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त श्री शर्मा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/ 1311

दिनांक-16/2/18

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. उपायुक्त द्वितीय, वाणिज्य कर विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
3. श्री कैलाश चन्द शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय- उपायुक्त द्वितीय, वाणिज्य कर विभाग, जयपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(अरविन्द धान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/

दिनांक-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (लिंक नम्बर 1640), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का स्थानान्तरण आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, जयपुर से निदेशक, अभियोजन विभाग, जयपुर किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री शर्मा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री शर्मा को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी तत्काल कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री शर्मा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 16.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री शर्मा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त श्री शर्मा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/ 1312

दिनांक-16/02/18

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. निदेशक, अभियोजन विभाग, जयपुर।
3. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय- आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, जयपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/

दिनांक-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद कल्याण (लिंक नम्बर 1861), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का स्थानान्तरण निरीक्षण विभाग, भौतिक सत्यापन दल, जयपुर से विकास अधिकारी, पंचायत समिति, दूदू, जयपुर किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री कल्याण द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री कल्याण को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी तत्काल कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री कल्याण को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 16.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री कल्याण नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त श्री कल्याण को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/ 1313

दिनांक-16/02/18

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निरीक्षण विभाग, भौतिक सत्यापन दल, जयपुर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मियों को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, दूदू, जयपुर।
3. श्री राजेन्द्र प्रसाद कल्याण, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय- निरीक्षण विभाग, भौतिक सत्यापन दल, जयपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)